न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर०ए०एस०)

प्रार्थना पत्र संख्या– 11/2017

1–प्रहलादराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी खाबड़ियाना तह. जायल जि.नागौर।
......................प्रार्थी

बनाम

1–सीताराम पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी खाबड़ियाना तह. जायल जि.नागौर।
2–लाली पत्नि जीवणराम जाति जाट निवासी खाबड़ियाना तह. जायल जि.नागौर।
3–तहसीलदार जायल जिला नागौर। .... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता–
1 श्री बस्तीराम ढाका प्रार्थी की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक 04·04·2018

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा खाबड़ियाना के खेत खसरा नम्बर 685/423 रकबा 07बीघा 03 बिस्वा पुराने में से प्रार्थी के 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि खरीद शुदा भूमि है जिस के खसर नम्बर 753/685 है जो प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा नक्शा में तरमीम है। खेत ख.नं. 685/423 रकबा 06 बीघा 02 बिस्वा अप्रार्थी सं. 01 व 02 के खातेदारी के खेत है। प्रार्थी ने यह खेत अप्रार्थी सं. 01 व 02 से कय किया था तथा कय करते ही कब्जा प्राप्त कर पत्थर (कातला) रोप दिये। पत्थर रोपने के पश्चात अप्रार्थी सं. 01 व 02 ने लोगों के सिखावे में आकर अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेकर पत्थर उखाड कर उन को तोड दिये। तब प्रार्थी ने पुलिसथाना सुरपालिया में मुकदमा दर्ज कराया जिस का चालान भी हो गया। फिर प्रार्थी ने श्रीमान् तहसीलदार जायल से सीमाज्ञान कराने का आदेश लिया तथा पटवारी हल्का सुरपालिया से सीमाज्ञान करवाया तथा पत्थर रोप दिये उस के बाद अप्रार्थीगण सं. 01 व 02 व उस के परिवार वालों पत्थर उखाड दिये। जिस से श्रीमान् के समक्ष यह आवेदन वास्ते पत्थर गड्डी के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
जायल,जिला नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.)

Scanned by CamScanner

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल को मौजा खाबडियाना के खेत ख.नं. 753/685 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा का नाप चोक करवाकर पत्थर गड्डी करने के आदेश देकर पालना रिपोर्ट मंगवायी जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 01 से 03 बावजूद तामील गेर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के करण विवाधक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्तआ वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र में अंकित निवेदन के अनुशार आदेश तहसीलदार जायल को दिया जाकर पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताआ की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है :-

मौजा खाबडियाना के खेत ख.नं. 753/685 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा का सीमाज्ञान कर पत्थर गड्डी करने के आदेश तहसीलदार जायल को दिये जाते है।

-: आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है। इसी माफिक डिकी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को पालना करने हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल,जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 05.05.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

क्रमांक / कोर्ट / 2018 / 70 दिनांक 04.04.18

तहसीलदार जायल को डिकी पर्चा की प्रमाणित प्रत्तियां भेजकर निदेर्शित किया जाता है कि डिकी पर्चा के अनुशार पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल,जिला नागौर

Scanned by CamScanner